



विलास पन्ना : 31

Qazaa Namazon Ka Tariqa (Hindi)

क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ा (ह-नफ़ी)

फ़ज़्र

ज़ोहर

अस्र

मगरिब

इशा

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, वानिये दा वेते इस्लामी, हुक्मते अल्लामा मौलाना अबु विलास

मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरि २-जुवी

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
مَا بَعُدَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये
ان شاء الله عزوجل जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ येह है :

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عزوجل ! हम पर इल्मो हिकमत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ-ज़मत और बुजुर्गी वाले । (دارالفكر بيروت) (المستطرف ج 1 ص 40)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

तालिबे गुमे मदीना
व बकीअ
व मग़फ़रत



13 शब्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ा

येह रिसाला (क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ा)

शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ ने उर्दू ज़बान में तहरीर फ़रमाया है ।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ करवाया है । इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअए मक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुत्तलअ फ़रमा कर सवाब कमाइये ।

राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,

तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद-1, गुजरात

MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ह-नफ़्ती)

क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ा

शैतान लाख रोके येह रिसाला (27 सफ़हात)

मुकम्मल पढ़ लीजिये, إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ इस की

ब-र-कतें खुद ही देख लेंगे ।

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

दो जहां के सुल्तान, सरवरे ज़ीशान, महबूबे रहमान
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने मग़िफ़रत निशान है : मुझ पर दुरूदे पाक
पढ़ना पुल सिरात पर नूर है, जो रोजे जुमुआ मुझ पर 80 बार दुरूदे पाक पढ़े
उस के 80 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे ।

(أَلْفُرْدَوْسُ بِمَأْثُورِ الْخُطَابِ ج ٢ ص ٤٠٨ ح ٤٠٨ ٢٨١٤)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

पारह 30 सू-रतुल माऊन की आयत नम्बर 4 और 5 में इर्शाद
होता है :

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ صَلَّى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : तो उन
नमाज़ियों की ख़राबी है जो अपनी
नमाज़ से भूले बैठे हैं ।

मुफ़स्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत, हज़रते मुफ़्ती अहमद यार
खान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّانِ सू-रतुल माऊन की आयत नम्बर 5 के तहूत

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरुदे पाक पढ़ा अल्लाह عُزَّوَجَلَّ उस पर दस (स) रहमतें भेजता है।

फ़रमाते हैं : नमाज़ से भूलने की चन्द सूरतें हैं : कभी न पढ़ना, पाबन्दी से न पढ़ना, सहीह वक़्त पर न पढ़ना, नमाज़ सहीह तरीक़े से अदा न करना, शौक़ से न पढ़ना, समझ बूझ कर अदा न करना, कसल व सुस्ती, बे परवाई से पढ़ना। (नूरुल इरफ़ान, स. 958)

जहन्नम की ख़ौफ़नाक वादी

सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह, हज़रते मौलाना मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي फ़रमाते हैं : जहन्नम में वैल नामी एक ख़ौफ़नाक वादी है जिस की सख़्ती से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है। जान बूझ कर नमाज़ क़ज़ा करने वाले उस के मुस्तहिक्क़ हैं।

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 347 मुलख़बसन)

पहाड़ गरमी से पिघल जाएं

हज़रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन अहमद ज़-हबी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي फ़रमाते हैं : कहा गया है कि जहन्नम में एक वादी है जिस का नाम वैल है, अगर उस में दुन्या के पहाड़ डाले जाएं तो वोह भी उस की गरमी से पिघल जाएं और येह उन लोगों का ठिकाना है जो नमाज़ में सुस्ती करते और वक़्त के बा'द क़ज़ा कर के पढ़ते हैं मगर येह कि वोह अपनी कोताही पर नादिम हों और बारगाहे खुदा वन्दी में तौबा करें। (كِتَابُ الْكَبَائِرِ ص 19)

सर कुचलने की सज़ा

सरकारे मदीनए मुनव्वरह, सरदारे मक्कए मुकर्रमा عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ ने सहाबए किराम صَلَّي اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से फ़रमाया : आज रात दो शख़्स (या'नी जिब्राईल عَلَيْهِ السَّلَام और मीकाईल عَلَيْهِ السَّلَام) मेरे पास

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुझ पर दस मरतबा दुरुदे पाक पढ़े अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उस पर सो रहमत नाज़िल फ़रमाता है। (طريق)

क़ब्र में आग के शो'ले

एक शख्स की बहन फ़ौत हो गई। जब उसे दफ़न कर के लौटा तो याद आया कि रक़म की थेली क़ब्र में गिर गई है चुनान्वे क़ब्रिस्तान आ कर थेली निकालने के लिये उस ने अपनी बहन की क़ब्र खोद डाली ! एक दिल हिला देने वाला मन्ज़र उस के सामने था, उस ने देखा कि बहन की क़ब्र में आग के शो'ले भड़क रहे हैं ! चुनान्वे उस ने जूं तूं क़ब्र पर मिट्टी डाली और सदमे से चूर चूर रोता हुवा मां के पास आया और पूछा : प्यारी अम्मीजान ! मेरी बहन के आ'माल कैसे थे ? वोह बोली : बेटा क्यूं पूछते हो ? अर्ज़ की : "मैं ने अपनी बहन की क़ब्र में आग के शो'ले भड़कते देखे हैं।" येह सुन कर मां भी रोने लगी और कहा : "अफ़सोस ! तेरी बहन नमाज़ में सुस्ती किया करती थी और नमाज़ क़ज़ा कर के पढ़ा करती थी।" (کتابُ الْکِبَائِرِ ص ۲۶)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जब क़ज़ा करने वालों की ऐसी ऐसी सख़्त सज़ाएं हैं तो जो बदनसीब सिरे से नमाज़ ही नहीं पढ़ते उन का क्या अन्जाम होगा !

अगर नमाज़ पढ़ना भूल जाए तो.....?

ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, पैकरे जूदो सख़ावत सरापा रहमत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : जो नमाज़ से सो जाए या भूल जाए तो जब याद आए पढ़ ले कि वोही उस का वक़्त है। (مسلم ص ۳۴۶ حدیث ۶۸۴)

फु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ फ़रमाते हैं : सोते में या भूले से नमाज़ क़ज़ा हो गई तो उस की क़ज़ा पढ़नी फ़र्ज़ है अलबत्ता क़ज़ा का

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख़्त हो गया । (ابن تيمية)

गुनाह उस पर नहीं मगर बेदार होने और याद आने पर अगर वक़्त मक्रूह न हो तो उसी वक़्त पढ़ ले ताख़ीर मक्रूह है । (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 701)

इत्तिफ़ाक़न आंख न खुली तो.....?

फ़तावा र-ज़विय्या में है : ❁ जब जाने कि अब सोया तो नमाज़ जाती रहेगी उस वक़्त सोना हलाल नहीं मगर जब कि किसी जग़ा देने वाले पर ए'तिमाद हो ❁ ऐसे वक़्त में सोया कि आदतन वक़्त में आंख खुल जाती और इत्तिफ़ाक़न न खुली तो गुनहगार नहीं ।

(फ़वाइदे जलीला फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 4, स. 698)

मजबूरी में अदा का सवाब मिलेगा या नहीं ?

आंख न खुलने की वजह से नमाज़े फ़ज़्र "क़ज़ा" हो जाने की सूरत में "अदा" का सवाब मिलेगा या नहीं । इस ज़िम्न में मेरे आक़ा आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, वलिय्ये ने'मत, अज़ीमुल ब-र-क़त, अज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्पू रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिद्अत, आलिमे शरीअत, पीरे तरीक़त, बाइसे ख़ैरो ब-र-क़त, इमामे इश्क़ो महब्बत, हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफ़िज़ अल क़ारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 8 सफ़हा 161 पर फ़रमाते हैं : रहा अदा का सवाब मिलना येह अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ के इख़्तियार में है । अगर वोह जानेगा कि इस ने अपनी जानिब से कोई तक्सीर (कोताही) न की, सुब्ह तक जागने के क़स्द से बैठा था और बे इख़्तियार आंख लग गई तो ज़रूर उस पर गुनाह नहीं । रसूलुल्लाह

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर सुबह व शाम दस दस बार दुरुद पाक पढ़ा उसे क़ियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (بخاری)

फ़रमाते हैं : नींद की सूरत में कोताही नहीं, कोताही उस शख्स की है जो (जागते में) नमाज़ न पढ़े हत्ता कि दूसरी नमाज़ का वक़्त आ जाए । (मुस्लिम ص ३६६ حدیث १८१)

रात के आख़िरी हिस्से में सोना कैसा ?

नमाज़ का वक़्त दाख़िल हो जाने के बा'द सो गया फिर वक़्त निकल गया और नमाज़ क़ज़ा हो गई तो क़त्अन गुनहगार हुवा जब कि जागने पर सहीह ए'तिमाद या जगाने वाला मौजूद न हो बल्कि फ़ज़्र में दुखूले वक़्त से पहले भी सोने की इजाज़त नहीं हो सकती जब कि अक्सर हिस्सा रात का जागने में गुज़रा और ज़न्ने ग़ालिब है कि अब सो गया तो वक़्त में आंख न खुलेगी । (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 701)

रात देर तक जागना

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! ना'त ख़्वानियों, ज़िक्रो फ़िक्र की महफ़िलों नीज़ सुन्नतों भरे इज्तिमाआत वगैरा में रात देर तक जागने के बा'द सोने के सबब अगर नमाज़े फ़ज़्र क़ज़ा होने का अन्देशा हो तो ब निय्यते ए'तिकाफ़ मस्जिद में क़ियाम करें या वहां सोएं जहां कोई क़ाबिले ए'तिमाद इस्लामी भाई जगाने वाला मौजूद हो । या अलार्म वाली घड़ी हो जिस से आंख खुल जाती हो मगर एक अदद घड़ी पर भरोसा न किया जाए कि नींद में हाथ लग जाने से या यूं ही ख़राब हो कर बन्द हो जाने का इम्कान रहता है, दो या हस्बे ज़रूरत जाइद घड़ियां हों तो बेहतर है । फु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ फ़रमाते हैं : “जब येह अन्देशा हो कि सुबह की नमाज़ जाती रहेगी तो बिला ज़रूरते शरइय्या उसे रात देर तक जागना मम्नूअ है ।” (رَدُّ الْمُحْتَارِ ج २ ص ३३)

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुरुद शरीफ़ न पढ़ा उस ने जफ़ा की। (عبدالرزاق)

अदा, क़ज़ा और वाजिबुल इअ़ादा की ता'रीफ़

जिस चीज़ का बन्दों को हुक्म है उसे वक़्त में बजा लाने को अदा कहते हैं और वक़्त ख़त्म होने के बा'द अमल में लाना क़ज़ा है और अगर उस हुक्म के बजा लाने में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो उस ख़राबी को दूर करने के लिये वोह अमल दोबारा बजा लाना इअ़ादा कहलाता है। वक़्त के अन्दर अन्दर अगर तहरीमा बांध ली तो नमाज़ क़ज़ा न हुई बल्कि अदा है। (مُدْرُؤُ الْمَخْتَارِ ج ٢ ص ٦٢٧-٦٢٢) मगर नमाज़े फ़न्न, जुमुआ और ईदैन में वक़्त के अन्दर सलाम फिरना लाज़िमी है वरना नमाज़ न होगी। (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 701) बिला उज़्रे शर-ई नमाज़ क़ज़ा कर देना सख़्त गुनाह है, इस पर फ़र्ज़ है कि उस की क़ज़ा पढ़े और सच्चे दिल से तौबा भी करे, तौबा या हज़्जे मक़बूल से إِن شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ताख़ीर का गुनाह मुअ़ाफ़ हो जाएगा (مُدْرُؤُ الْمَخْتَارِ ج ٢ ص ٦٢٦) तौबा उसी वक़्त सहीह है जब कि क़ज़ा पढ़ ले उस को अदा किये बिग़ैर तौबा किये जाना तौबा नहीं कि जो नमाज़ इस के ज़िम्मे थी उस को न पढ़ना तो अब भी बाक़ी है और जब गुनाह से बाज़ न आया तो तौबा कहां हुई ? (رَدُّ الْمَخْتَارِ ج ٢ ص ٦٢٧)

हज़रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है, ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, पैकरे जूदो सख़ावत, सरापा रहमत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इश़ाद फ़रमाया : गुनाह पर काइम रह कर तौबा करने वाला उस की मिस्ल है जो अपने रब عَزَّوَجَلَّ से ठड्डा (या'नी मज़ाक़) करता है।

(شُعَبُ الْإِيمَانِ ج ٥ ص ٤٣٦ حدیث ٧١٧٨)

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुझ पर रोज़े जुमुआ दुरूद शरीफ़ पढ़ेगा मैं क़ियामत के दिन उस को शफ़ाअत करूँगा। (جمع الجوامع)

तौबा के तीन रुकन हैं

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते अल्लामा सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي फ़रमाते हैं : “तौबा के तीन रुकन हैं : ﴿1﴾ ए'तिराफ़े जुर्म ﴿2﴾ नदामत ﴿3﴾ अज़्मे तर्क (या'नी इस गुनाह को छोड़ने का पुख़्ता अहद)। अगर गुनाह क़ाबिले तलाफ़ी है तो उस की तलाफ़ी भी लाज़िम। म-सलन तारिके सलात (या'नी नमाज़ तर्क कर देने वाले) की तौबा के लिये नमाज़ों की क़ज़ा भी लाज़िम है।” (ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, स. 12)

सोते को नमाज़ के लिये जगाना वाजिब है

कोई सो रहा है या नमाज़ पढ़ना भूल गया है तो जिसे मा'लूम है उस पर वाजिब है कि सोते को जगा दे और भूले हुए को याद दिला दे। (वरना गुनहगार होगा) (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 701) याद रहे ! जगाना या याद दिलाना उस वक़्त वाजिब होगा जब कि ज़न्ने ग़ालिब हो कि येह नमाज़ पढ़ेगा वरना वाजिब नहीं।

फ़ज़्र का वक़्त हो गया उठो !

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! ख़ूब सदाए मदीना लगाइये या'नी सोने वालों को नमाज़ के लिये जगाइये और ढेरों नेकियां कमाइये। दा'वते इस्लामी के म-दनी माहोल में फ़ज़्र के लिये मुसल्मानों को जगाना सदाए मदीना लगाना कहलाता है, सदाए मदीना वाजिब नहीं, नमाज़े फ़ज़्र के लिये जगाना कारे सवाब है जो हर मुसल्मान को हस्बे मौक़अ करना चाहिये। सदाए मदीना लगाने में इस बात की एह्तियात ज़रूरी है कि किसी मुसल्मान को ईजा न हो।

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। (طبرانی)

हिकायत

एक इस्लामी भाई ने मुझे (सगे मदीना عَنْهُ को) बताया था हम चन्द इस्लामी भाई **मेगाफ़ोन** पर फ़ज़्र के वक़्त **सदाए मदीना** लगाते हुए एक गली से गुज़रे। एक साहिब ने हम को टोका और कहा कि मेरा बच्चा रात भर नहीं सोया अभी अभी आंख लगी है आप लोग **मेगाफ़ोन** बन्द कर दीजिये। हम को उन साहिब पर बड़ा गुस्सा आया कि न जाने कैसा मुसल्मान है, हम नमाज़ के लिये जगा रहे हैं और येह इस नेक काम में रुकावट डाल रहा है! ख़ैर दूसरे दिन हम फिर **सदाए मदीना** लगाते हुए उस तरफ़ जा निकले तो वोही साहिब पहले से गली के **नुक्कड़** पर गमज़दा खड़े थे और हम से कहने लगे : आज भी बच्चा सारी रात नहीं सोया अभी अभी आंख लगी है इसी लिये मैं यहां खड़ा हो गया ताकि हमारी गली से ख़ामोशी से गुज़रने की आप हज़रात की ख़िदमात में दर-ख़्वास्त करूं। इस से मा'लूम हुआ कि बिगैर **मेगाफ़ोन** के **सदाए मदीना** लगाई जाए। नीज़ बिगैर **मेगाफ़ोन** के भी इस क़दर बुलन्द आवाज़ें न निकाली जाएं जिस से घरों में नमाज़ व तिलावत में मशगूल इस्लामी बहनों, ज़ईफ़ों, मरीजों और बच्चों को तश्वीश हो या जो अब्बल वक़्त में पढ़ कर सो रहा या सो रही हो उस की नींद में ख़लल पड़े। और अगर कोई मुसल्मान अपने घर के पास **सदाए मदीना** लगाने से रोके तो उस से ज़िद बहूस करने के बजाए उस से मुआफ़ी मांग ली जाए और उस पर हुस्ने ज़न रखा जाए कि यकीनन कोई मुसल्मान नमाज़ के लिये जगाने

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीज़गी का बाइस है। (ابن ماجه)

का मुख़ालिफ़ नहीं हो सकता, उस बिचारे की कोई मजबूरी होगी। बिलफ़र्ज वोह बे नमाज़ी हो तो भी आप उस पर सख़्ती करने के मजाज़ नहीं, किसी मुनासिब वक़्त पर इन्तिहाई नरमी के साथ इन्फ़िरादी कोशिश के ज़रीए उस को नमाज़ के लिये आमादा कीजिये। मसाजिद में भी अज़ाने फ़ज़्र वग़ैरा के इलावा बे मौक़अ नीज़ महल्लों या मकानों के अन्दर महाफ़िले ना'त वग़ैरा में स्पीकर इस्ति'माल करने वालों को भी अपने अपने घरों में इबादत करने वालों, मरीज़ों, शीर ख़्वार बच्चों और सोने वालों की ईज़ा को पेशे नज़र रखना चाहिये।

हुकूके आम्मा के एहसास की हिकायत

हुकूके आम्मा का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है, हमारे अस्लाफ़ इस मुआ-मले में बेहद मोहतात हुवा करते थे। चुनान्चे हुज्जतुल इस्लाम हज़रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي फ़रमाते हैं : हज़रते सय्यिदुना इमाम अहमद बिन हम्बल عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى की खिदमत में एक शख़्स कई साल से हाज़िर होता और इल्म हासिल करता। एक बार जब आया तो आप عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى ने उस से मुंह फेर लिया। उस के ब इसरार इस्तिफ़सार पर फ़रमाया : अपने मकान की दीवार के सड़क वाले कोने पर गारा लगा कर क़दे आदम (या'नी इन्सानी क़द) के बराबर उस (कोने) को तुम ने आगे बढ़ा दिया है हालां कि वोह मुसल्मानों की गुज़र गाह है। या'नी मैं तुम से कैसे खुश हो सकता हूँ कि तुम ने मुसल्मानों का रास्ता तंग कर दिया है !

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा ज़िक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद शरीफ़ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्ज़ूस तरीन शख़्स है। (مسند احمد)

(احياء العلوم ج ٥ ص ٩٦ تخلصاً) यहां वोह लोग भी इब्रत हासिल करें जो अपने घरों के बाहर ऐसे चबूतरे वगैरा बना देते हैं जिस से मुसलमानों का रास्ता तंग हो जाता है।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

जल्द से जल्द क़ज़ा पढ़ लीजिये

जिस के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हों उन का जल्द से जल्द पढ़ना वाजिब है मगर बाल बच्चों की परवरिश और अपनी ज़रूरिय्यात की फ़राहमी के सबब ताख़ीर जाइज़ है। लिहाज़ा कारोबार भी करता रहे और फुरसत का जो वक़्त मिले उस में क़ज़ा पढ़ता रहे यहां तक कि पूरी हो जाएं।

(دُرُْمُخْتَار ج ٢ ص ٦٤٦)

छुप कर क़ज़ा पढ़िये

क़ज़ा नमाज़ें छुप कर पढ़िये लोगों पर (या घर वालों बल्कि करीबी दोस्त पर भी) इस का इज़हार न कीजिये (म-सलन येह मत कहा कीजिये कि मेरी आज की फ़ज़्र क़ज़ा हो गई या मैं क़ज़ाए उम्री पढ़ रहा हूं वगैरा) कि गुनाह का इज़हार भी मक्रूहे तहरीमी व गुनाह है। (رَدُّ الْمُخْتَار ج ٢ ص ٦٥٠) लिहाज़ा अगर लोगों की मौजू-दगी में वित्र क़ज़ा पढ़ें तो तक्बीरे कुनूत के लिये हाथ न उठाएं।

जुमुअतुल वदाअ में क़ज़ाए उम्री

र-मज़ानुल मुबारक के आख़िरी जुमुआ में बा'ज लोग बा जमाअत क़ज़ाए उम्री पढ़ते हैं और येह समझते हैं कि उम्र भर की क़ज़ाएं

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। (طبرانی)

इसी एक नमाज़ से अदा हो गई यह बातिल महज़ है।

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 708)

उम्र भर की क़ज़ा का हिसाब

जिस ने कभी नमाज़ें ही न पढ़ी हों और अब तौफ़ीक़ हुई और क़ज़ाए उम्री पढ़ना चाहता है वोह जब से बालिग़ हुवा है उस वक़्त से नमाज़ों का हिसाब लगाए और तारीख़े बुलूग़ भी नहीं मा'लूम तो एहतियात इसी में है कि हिजरी सिन के हिसाब से औरत नव साल की उम्र से और मर्द बारह साल की उम्र से नमाज़ों का हिसाब लगाए।

क़ज़ा पढ़ने में तरतीब

क़ज़ाए उम्री में यूं भी कर सकते हैं कि पहले तमाम फ़ज़्रें अदा कर लें फिर तमाम जोहर की नमाज़ें इसी तरह अस्स, मगरिब और इशा।

क़ज़ाए उम्री का तरीक़ा (ह-नफी)

क़ज़ा हर रोज़ की बीस रक़अतें होती हैं। दो फ़र्ज़ फ़ज़्र के, चार जोहर, चार अस्स, तीन मगरिब, चार इशा के और तीन वित्र। निख्यत इस तरह कीजिये, म-सलन : “सब से पहली फ़ज़्र जो मुझ से क़ज़ा हुई उस को अदा करता हूं।” हर नमाज़ में इसी तरह निख्यत कीजिये। जिस पर ब कसरत क़ज़ा नमाज़ें हैं वोह आसानी के लिये अगर यूं भी अदा करे तो जाइज़ है कि हर रुकूअ और हर सज्दे में तीन तीन बार “سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى” की जगह सिर्फ़ एक एक बार कहे। मगर येह हमेशा और हर तरह की नमाज़ में याद रखना चाहिये कि जब

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَيَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के ज़िक्र और नबी पर दुरुद शरीफ़ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । (شعب الإيمان)

रुकूअ में पूरा पहुँच जाए उस वक़्त **سُبْحَن** का “सीन” शुरूअ करे और जब **عَظِيم** का “मीम” ख़त्म कर चुके उस वक़्त रुकूअ से सर उठाए। इसी तरह सज्दे में भी करे। **एक** तख़फ़ीफ़ (या’नी कमी) तो येह हुई और **दूसरी** येह कि फ़र्जों की तीसरी और चौथी रक़अत में **अल हम्द शरीफ़** की जगह फ़क़त **“سُبْحَنَ اللَّهِ”** तीन बार कह कर रुकूअ कर ले। मगर वित्र की तीनों रक़अतों में **अल हम्द शरीफ़** और सूरात दोनों ज़रूर पढ़ी जाएं। **तीसरी** तख़फ़ीफ़ (या’नी कमी) येह कि का’दए अख़ीरा में तशह्हुद या’नी अत्तहिय्यात के बा’द दोनों दुरूदों और दुआ की जगह सिर्फ़ **“اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ”** कह कर सलाम फेर दे। **चौथी** तख़फ़ीफ़ (या’नी कमी) येह कि वित्र की तीसरी रक़अत में दुआए कुनूत की जगह **اللَّهُ أَكْبَرُ** कह कर फ़क़त एक बार या तीन बार **“رَبِّ اعْفِرْ لِي”** कहे। (मुलख़्ख़स अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 8, स. 157) याद रखिये ! तख़फ़ीफ़ (या’नी कमी) के इस तरीक़े की आदत हरगिज़ न बनाइये, मा’मूल की नमाज़ें सुन्नत के मुताबिक़ ही पढ़िये और इन में फ़राइज़ व वाजिबात के साथ साथ सुन्नत और मुस्तहब्बात व आदाब की भी रिआयत कीजिये।

नमाज़े क़स्स की क़ज़ा

अगर हालते सफ़र की क़ज़ा नमाज़ हालते इक़ामत में पढ़ेंगे तो क़स्स ही पढ़ेंगे और हालते इक़ामत की क़ज़ा नमाज़ हालते सफ़र में पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे या’नी क़स्स नहीं करेंगे। (عالمگیری ج ۱ ص ۱۲۱)

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर रोज़े जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे । (جمع الجوامع)

ज़मानए इरतिदाद की नमाज़ें

जो शख़्स **مُرْتَد** हो गया फिर इस्लाम लाया तो ज़मानए इरतिदाद की नमाज़ों की क़ज़ा नहीं और मुरतद होने से पहले ज़मानए इस्लाम में जो नमाज़ें जाती रही थीं उन की क़ज़ा वाजिब है ।

(رَدُّ الْمَحْتَارِ ج ٢ ص ٦٤٧)

बच्चे की पैदाइश के वक़्त नमाज़

दाई (Nurse/Midwife) नमाज़ पढ़ेगी तो बच्चे के मर जाने का अन्देशा है, नमाज़ क़ज़ा करने के लिये येह उज़्र (या'नी मजबूरी) है । बच्चे का सर बाहर आ गया और निफ़ास से पेशतर वक़्त ख़त्म हो जाएगा तो इस हालत में भी उस की मां पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है न पढ़ेगी तो गुनहगार होगी । किसी बरतन में बच्चे का सर रख कर जिस से उस को नुक़सान न पहुंचे नमाज़ पढ़े मगर इस तरकीब से पढ़ने में भी बच्चे के मर जाने का अन्देशा हो तो ताख़ीर मुआफ़ है । बा'दे निफ़ास इस नमाज़ की क़ज़ा पढ़े ।

(ایضاً ص ٦٢٧)

मरीज़ को नमाज़ कब मुआफ़ है ?

ऐसा मरीज़ कि इशारे से भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता अगर येह हालत पूरे छ⁶ वक़्त तक रही तो इस हालत में जो नमाज़ें फ़ौत हुई उन की क़ज़ा वाजिब नहीं ।

(عالمگیری ج ١ ص ١٢١)

उम्र भर की नमाज़ें दोबारा पढ़ना

जिस की नमाज़ों में नुक़सान व कराहत हो वोह तमाम उम्र की नमाज़ें फेरे तो अच्छी बात है और कोई ख़राबी न हो तो न चाहिये और

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर दुरूद शरीफ़ पढ़ो अल्लाह غُرُوحَلْ तुम पर रहमत भेजेगा । (अबुनूर)।

करे तो फ़ज़्र व अ़स्स के बा'द न पढ़े और तमाम रकअतें भरी पढ़े और वित्र में कुनूत पढ़ कर तीसरी के बा'द क़ा'दा कर के, फिर एक और मिलाए कि चार हो जाएं ।
(आलमगीरि ज 1 ص 124)

क़ज़ा का लफ़ज़ कहना भूल गया तो ?

आ 'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ फ़रमाते हैं : हमारे उ-लमा तसरीह़ फ़रमाते हैं : क़ज़ा ब निय्यते अदा और अदा ब निय्यते क़ज़ा दोनों सहीह़ हैं ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 8, स. 161)

क़ज़ा नमाज़ें नवाफ़िल की अदाएंगी से बेहतर

“फ़तावा शामी” में है : क़ज़ा नमाज़ें नवाफ़िल की अदाएंगी से बेहतर और अहम हैं मगर सुन्नते मुअक्कदा, नमाज़े चाशत, सलातुत्तस्बीह़ और वोह नमाज़ें जिन के बारे में अहादीसे मुबा-रका मरवी हैं या'नी जैसे तहिय्यतुल मस्जिद, अ़स्स से पहले की चार रकअत (सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा) और मग़रिब के बा'द छ⁶ रकअतें (पढ़ी जाएंगी) । (رَدُّ الْمُحْتَارِ ج 2 ص 161) ।
याद रहे ! क़ज़ा नमाज़ की बिना पर सुन्नते मुअक्कदा छोड़ना जाइज़ नहीं, अलबत्ता सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा और हदीसों में वारिद शुदा मख़्सूस नवाफ़िल पढ़े तो सवाब का हक़दार है मगर इन्हें न पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं, चाहे ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ हो या न हो ।

फ़ज़्र व अ़स्स के बा 'द नवाफ़िल नहीं पढ़ सकते

नमाज़े फ़ज़्र और अ़स्स के बा'द वोह तमाम नवाफ़िल अदा करने

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग़िफ़रत है। (ابن عساکر)

मकरूहे (तहरीमी) हैं जो क़स्दन हों अगर्चे तहिय्यतुल मस्जिद हों, और हर वोह नमाज़ (भी नहीं पढ़ सकते) जो ग़ैर की वजह से लाज़िम हो म-सलन नज़्र और त़वाफ़ के नवाफ़िल और हर वोह नमाज़ जिस को शुरूअ किया फिर उसे तोड़ डाला, अगर्चे वोह फ़ज़्र और अ़स्स की सुन्नतें ही क्यूं न हों। (दُرْمُخْتَار ج ۲ ص ۴۴-۴۵)

क़ज़ा के लिये कोई वक़्त मुअय्यन नहीं उम्र में जब (भी) पढ़ेगा बरिय्युज़्ज़िम्मा हो जाएगा। मगर तुलूअ व गुरूब और ज़वाल के वक़्त नमाज़ नहीं पढ़ सकता कि इन वक़्तों में नमाज़ जाइज़ नहीं।

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 702, ०२ ज १ ص ५०)

ज़ोहर की चार सुन्नतें रह जाएं तो क्या करे ?

अगर ज़ोहर के फ़र्ज़ पहले पढ़ लिये तो दो रक़अत सुन्नते बा'दिया अदा करने के बा'द चार रक़अत सुन्नते क़ब्बिया अदा कीजिये चुनान्वे सरकारे आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ف़रमाते हैं : ज़ोहर की पहली चार सुन्नतें जो फ़र्ज़ से पहले न पढ़ी हों तो बा'दे फ़र्ज़ बल्कि मज़हबे अरजह (या'नी पसन्दीदा तरीन मज़हब) पर बा'द (दो रक़अत) सुन्नते बा'दिया के पढ़ें बशर्ते कि हुनूज़ (या'नी अभी) वक़ते ज़ोहर बाकी हो। (फ़तावा र-ज़विय्या मुखर्रजा, जि. 8, स. 148)

फ़ज़्र की सुन्नतें रह जाएं तो क्या करे ?

सुन्नतें पढ़ने से अगर फ़ज़्र की जमाअत फ़ौत हो जाने का अन्देशा हो तो बिग़ैर पढ़े शामिल हो जाए। मगर सलाम फेरने के बा'द पढ़ना

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरुदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फ़िरिश्ते उस के लिये इस्तिफ़ार (या'नी बख़्शिश की दुआ) करते रहेंगे। (ظُرَائِن)

जाइज़ नहीं। तुलूए आफ़ताब के कम अज़ कम बीस मिनट बा'द से ले कर ज़हूवए कुब्रा तक पढ़ ले कि मुस्तहब है। इस के बा'द मुस्तहब भी नहीं।

क्या मग़रिब का वक़्त थोड़ा सा होता है ?

मग़रिब की नमाज़ का वक़्त गुरुबे आफ़ताब ता इब्तिदाए वक़्ते इशा होता है। येह वक़्त मक़ामात और तारीख़ के ए'तिबार से घटता बढ़ता रहता है म-सलन बाबुल मदीना कराची में निज़ामुल अवक़ात के नक़्शे के मुताबिक़ मग़रिब का वक़्त कम अज़ कम एक घन्टा 18 मिनट होता है। फ़ु-क़हाए किराम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ फ़रमाते हैं : रोज़े अब्र (या'नी जिस दिन बादल छाए हों उस) के सिवा मग़रिब में हमेशा ता'जील (या'नी जल्दी) मुस्तहब है और दो रक़अत से जाइद की ताख़ीर मकरूहे तन्ज़ीही और अगर बिग़ैर उज़्र सफ़र व मरज़ वग़ैरा इतनी ताख़ीर की, कि सितारे गुथ गए तो मकरूहे तहरीमी। (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 453)

सरकारे आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ फ़रमाते हैं : इस (या'नी मग़रिब) का वक़्ते मुस्तहब जब तक है कि सितारे ख़ूब जाहिर न हो जाएं, इतनी देर करनी कि (बड़े बड़े सितारों के इलावा) छोटे छोटे सितारे भी चमक आएँ मकरूह है। (फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 5, स. 153) अस्स व इशा से पहले जो रक़अतें हैं वोह सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा हैं उन की क़ज़ा नहीं।

फ़रमाने मुस्तफ़ा ﷺ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْيَوْمَ سَلَّمَ : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरुद पाक पढ़े क़ियामत के दिन में उस से मुसा-फ़हा करूँ (या'नी हाथ मिलाऊँ)गा । (ابن بشكوال)

तरावीह की क़ज़ा का क्या हुक्म है ?

जब तरावीह फ़ौत हो जाए तो उस की क़ज़ा नहीं, न जमाअत से न तन्हा और अगर कोई क़ज़ा पढ़ भी लेता है तो येह जुदागाना नफ़ल हो जाएंगे, तरावीह से इन का तअल्लुक न होगा । (تنوير الأبصار ودرمختار ج 2 ص 98)

नमाज़ का फ़िदया

जिन के रिश्तेदार फ़ौत हुए हों वोह

इस मज़मून का ज़रूर मुता-लअ़ा फ़रमाएं

मथ्यित की उम्र मा'लूम कर के इस में से नव साल औरत के लिये और बारह साल मर्द के लिये ना बालिगी के निकाल दीजिये । बाकी जितने साल बचे उन में हिसाब लगाइये कि कितनी मुद्दत तक वोह (या'नी मर्हूम) बे नमाज़ी रहा या बे रोज़ा रहा, या कितनी नमाज़ें या रोज़े उस के ज़िम्मे क़ज़ा के बाकी हैं । ज़ियादा से ज़ियादा अन्दाज़ा लगा लीजिये बल्कि चाहें तो ना बालिगी की उम्र के बा'द बकिय्या तमाम उम्र का हिसाब लगा लीजिये । अब फ़ी नमाज़ एक एक स-द-क़ए फ़िज़ ख़ैरात कीजिये । एक स-द-क़ए फ़िज़ की मिक्दार 2 किलो से 80 ग्राम कम गेहूं या उस का आटा या उस की रक़म है । और एक दिन की छ⁶ नमाज़ें हैं पांच फ़र्ज़ और एक वित्र वाजिब । म-सलन 2 किलो से 80 ग्राम कम गेहूं की रक़म 12 रुपै हो तो एक दिन की नमाज़ों के 72 रुपै हुए और 30 दिन के 2160 रुपै और बारह माह के तक़रीबन 25920 रुपै हुए । अब किसी मथ्यित पर 50 साल की नमाज़ें बाकी हैं तो फ़िदया अदा करने के लिये 1296000 रुपै ख़ैरात करने होंगे । जाहिर है हर शख़्स इतनी रक़म

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : बरोज़े क़ियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ने दुन्या में मुझ पर ज़ियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (ترمذی)

ख़ैरात करने की इस्तिताअत (ताक़त) नहीं रखता, इस के लिये उ-लमाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ने शर-ई हीला इर्शाद फ़रमाया है। म-सलन वोह 30 दिन की तमाम नमाज़ों के फ़िदये की निय्यत से 2160 रुपै किसी फ़कीर (फ़कीर और मिस्कीन की ता'रीफ़ सफ़हा नम्बर 24 पर मुला-हज़ा फ़रमाइये) की मिल्क कर दे, येह 30 दिन की नमाज़ों का फ़िदया अदा हो गया। अब वोह फ़कीर येह रक़म देने वाले ही को हिबा कर दे (या'नी तोहफ़े में दे दे) येह क़ब्ज़ा करने के बा'द फिर फ़कीर को 30 दिन की नमाज़ों के फ़िदये की निय्यत से क़ब्जे में दे कर उस का मालिक बना दे। इसी तरह लौट फेर करते रहें यूं सारी नमाज़ों का फ़िदया अदा हो जाएगा। 30 दिन की रक़म के ज़रीए ही हीला करना शर्त नहीं वोह तो समझाने के लिये मिसाल दी है। बिलफ़र्ज 50 साल के फ़िदयों की रक़म मौजूद हो तो एक ही बार लौट फेर करने में काम हो जाएगा। नीज़ फ़ित्रे की रक़म का हि़साब गेहूं के मौजूदा भाव से लगाना होगा। इसी तरह फ़ी रोज़ा भी एक स-द-क़ए फ़ित्र है। नमाज़ों का फ़िदया अदा करने के बा'द रोज़ों का भी इसी तरीके से फ़िदया अदा कर सकते हैं। ग़रीब व अमीर सभी फ़िदये का हीला कर सकते हैं। अगर वु-रसा अपने मर्हूमिन के लिये येह अमल करें तो येह मय्यित की ज़बर दस्त इमदाद होगी, इस तरह मरने वाला भी **فَرَجٌ** के बोझ से आज़ाद होगा और वु-रसा भी अज़्रो सवाब के मुस्तहि़क़ होंगे। बा'ज़ लोग मस्जिद वगैरा में एक कुरआने पाक का नुस्खा दे कर अपने मन को मना लेते हैं कि हम ने मर्हूम की तमाम नमाज़ों का फ़िदया अदा कर दिया येह उन की ग़लत फ़हमी है। (तफ़सील के लिये देखिये : फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 8, स. 167) **याद रखिये !**

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा अल्लाह उस पर दस रहमते भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (ترمذی)

मर्हूम की नमाज़ों का फ़िदया औलाद और दीगर वु-रसा की तरह कोई आ़म मुसलमान भी दे सकता है।

(مِنْعَةُ الْخَالِقِ عَلَى الْبَحْرِ الرَّائِقِ لابن عابدين ج ٢ ص ١٦٠ مُلَخَّصًا)

मर्हूमा के फ़िदये का एक मस्अला

औरत की आदते हैज़ अगर मा'लूम हो तो उस क़दर दिन और न मा'लूम हो तो हर महीने से तीन दिन नव बरस की उम्र से मुस्तस्ना करें मगर जितनी बार हम्ल रहा हो मुदते हम्ल के महीनों से अय्यामे हैज़ का इस्तस्ना न करें। औरत की आदत दरबारए निफ़ास अगर मा'लूम हो तो हर हम्ल के बा'द उतने दिन मुस्तस्ना करे और न मा'लूम हो तो कुछ नहीं कि निफ़ास के लिये जानिबे अक़ल (कम से कम) में शरअन कुछ तक्दीर नहीं। मुम्किन है कि एक ही मिनट आ कर फ़ौरन पाक हो जाए।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 8, स. 154)

सादाते किराम को नमाज़ का फ़िदया नहीं दे सकते

मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن से सय्यिदों और ग़ैर मुस्लिमों को नमाज़ का फ़िदया देने के मु-तअल्लिक़ पूछा गया तो फ़रमाया : येह स-दक़ा (या'नी नमाज़ का फ़िदया) हज़राते सादाते किराम के लाइक़ नहीं और हुनूद वग़ैरहुम कुफ़ारे हिन्द इस स-दके के लाइक़ नहीं। इन दोनों को देने की अस्लन इजाज़त नहीं, न इन के दिये अदा हो। मुस्लिमीन मसाकीन ज़विल कुर्बा ग़ैर हाशिमीन (या'नी अपने मिस्कीन मुस्लमान रिश्तेदार ग़ैर हाशिमियों) को देना दूना (या'नी दुगना) अज़्र है।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 8, स. 166)

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : शबे जुमुआ और रोज़े मुझ पर दुरूद को कसरत कर लिया करो जो ऐसा करेगा क़ियामत के दिन मैं उस का शफ़ीअ व गवाह बनूंगा ! (شعب الإيمان)

100 कोड़ों का हीला

हीलए शर-ई का जवाज़ कुरआनो हदीस और फ़िक्हे ह-नफ़ी की मो'तबर कुतुब में मौजूद है । चुनान्चे हज़रते सय्यिदुना अय्यूब عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की बीमारी के ज़माने में आप عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की जौजए मोह-त-रमा غِنَهَا اللهُ تَعَالَى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا एक बार ख़िदमतते सरापा अ-ज़मत में ताख़ीर से हाज़िर हुई तो आप عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ने क़सम खाई कि “मैं तन्दुरुस्त हो कर सो कोड़े मारूंगा” सिह्हत याब होने पर अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ ने उन्हें सो तीलियों की झाडू मारने का हुक्म इर्शाद फ़रमाया । (नूरुल इरफ़ान, स. 728 मुलख़बसन) अल्लाह तबा-र-क व तआला पारह 23

सूरए ص की आयत नम्बर 44 में इर्शाद फ़रमाता है :

وَأَخَذَ بِيَدَيْكَ ضَعْفًا ضَرْبًا ۖ وَتَرَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَنَجَّىٰكَ اللَّهُ مِنَ ضَلٰلٰتِهِ ۗ ۚ وَتَرَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَنَجَّىٰكَ اللَّهُ مِنَ ضَلٰلٰتِهِ ۗ ۚ

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और फ़रमाया कि अपने हाथ में एक झाडू ले कर इस से मार दे और क़सम न तोड़ ।

“आलमगीरी” में हीलों का एक मुस्तक़िल बाब है जिस का नाम “किताबुल हियल” है चुनान्चे आलमगीरी “किताबुल हियल” में है : जो हीला किसी का हक़ मारने या उस में शुबा पैदा करने या बातिल से फ़रेब देने के लिये किया जाए वोह मक्रूह है और जो हीला इस लिये किया जाए कि आदमी हराम से बच जाए या हलाल को हासिल कर ले वोह अच्छा है । इस क़िस्म के हीलों के जाइज़ होने की दलील अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ का येह फ़रमान है :

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुझे पर एक बार दुरुद पढ़ता है अल्लाह उस के लिये एक क़ोरात (عيرالزان) अज़्र लिखता है और क़ोरात उहद पहाड़ जितना है।

وَحُدَيْبِيكَ ضَعْفًا فَاصْرَبْ
بِهِ وَلَا تَحْتِطْ ط (प २३, व ४४)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और
फ़रमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू ले
कर इस से मार दे और क़सम न तोड़।

(एाल्गीरि ज ६ व ३९०)

कान छेदने का रवाज कब से हुवा ?

हीले के जवाज़ पर एक और दलील मुला-हज़ा फ़रमाइये चुनान्चे
हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है
कि एक बार हज़रते सय्यि-दतुना सारह और हज़रते सय्यि-दतुना हाजिरा
में कुछ चप-क़लश हो गई। हज़रते सय्यि-दतुना सारह
ने क़सम खाई कि मुझे अगर काबू मिला तो मैं हाजिरा
का कोई उज़्च काटूंगी। अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ ने हज़रते सय्यिदुना
जिब्रईल عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام को हज़रते सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह
की खिदमत में भेजा कि इन में सुल्ह करवा दें।
हज़रते सय्यि-दतुना सारह رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ने अर्ज़ की : “مَاحِلَّةٌ يَمِينِي؟”
या'नी मेरी क़सम का क्या हीला होगा ? तो हज़रते सय्यिदुना इब्राहीम
ख़लीलुल्लाह عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام पर वहूय नाज़िल हुई कि (हज़रते)
सारह (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) को हुक्म दो कि वोह (हज़रते) हाजिरा
(رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) के कान छेद दें। उसी वक़्त से औरतों के कान छेदने
का रवाज पड़ा।

(عَمْرُؤَيْونِ الْبَصَائِرِ لِلْحَمَوِيِّ ج ३ व २९०)

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। (جمع الجوامع)

गाय के गोशत का तोहफ़ा

उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यि-दतुना आइशा सिदीक़ा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से रिवायत है कि दो जहान के सुल्तान, सरवरे ज़ीशान صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की ख़िदमत में गाय का गोशत हाज़िर किया गया, किसी ने अर्ज़ की : येह गोशत हज़रते सय्यि-दतुना बरीरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا पर स-दक़ा हुवा था। फ़रमाया : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ : या'नी येह बरीरा के लिये स-दक़ा था हमारे लिये हदिय्या है। (مُسْلِمٌ ص ٥٤١ حديث ١٠٧٥)

ज़कात का शर-ई ह़ीला

इस हदीसे पाक से साफ़ ज़ाहिर है कि हज़रते सय्यि-दतुना बरीरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا जो कि स-दके की हक़दार थीं उन को बतौरै स-दक़ा मिला हुवा गाय का गोशत अगर्चे उन के हक़ में स-दक़ा ही था मगर उन के क़ब्ज़ा कर लेने के बा'द जब बारगाहे रिसालत में पेश किया गया था तो उस का हुक्म बदल गया था और अब वोह स-दक़ा न रहा था। यूं ही कोई मुस्तहिक़ शख़्स ज़कात अपने क़ब्ज़े में लेने के बा'द किसी भी आदमी को तोहफ़तन दे सकता या मस्जिद वगैरा के लिये पेश कर सकता है कि मज़क़ूर मुस्तहिक़ शख़्स का पेश करना अब ज़कात न रहा, हदिय्या या अतिरिया हो गया। फ़ु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ ज़कात का शर-ई ह़ीला करने का तरीक़ा यूं इर्शाद फ़रमाते हैं : ज़कात की रक़म मुर्दे की तज्हीज़ो तक्फ़ीन या मस्जिद की ता'मीर में सर्फ़ नहीं कर सकते कि तम्लीके फ़कीर (या'नी फ़कीर को मालिक करना) न पाई गई। अगर इन

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोज़े क़ियामत तुम्हारे लिये नूर होगा। (فروض الاعجاز)

उमूर में खर्च करना चाहें तो इस का तरीक़ा येह है कि फ़क़ीर को (ज़कात की रक़म का) मालिक कर दें और वोह (ता'मीरे मस्जिद वग़ैरा में) सर्फ़ करे, इस तरह सवाब दोनों को होगा। (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 890)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! कफ़न दफ़न बल्कि ता'मीरे मस्जिद में भी **हीलए शर-ई** के ज़रीए ज़कात इस्ति'माल की जा सकती है क्यूं कि ज़कात तो फ़क़ीर के हक़ में थी जब फ़क़ीर ने क़ब्ज़ा कर लिया तो अब वोह मालिक हो चुका, जो चाहे करे। हीलए शर-ई की ब-र-कत से देने वाले की ज़कात भी अदा हो गई और फ़क़ीर भी मस्जिद में दे कर सवाब का हक़दार हो गया। फ़क़ीरे शर-ई को हीले का मस्अला बेशक समझा दिया जाए।

फ़क़ीर की ता'रीफ़

फ़क़ीर वोह है कि ❁ जिस के पास कुछ न कुछ हो मगर इतना न हो कि निसाब को पहुंच जाए या ❁ निसाब की क़दर तो हो मगर उस की हाजते अस्लिह्या (या'नी ज़रूरिय्याते जिन्दगी) में मुस्तगरक़ (घिरा हुआ) हो। म-सलन रहने का मकान, ख़ानादारी का सामान, सुवारी के जानवर (या स्कूटर या कार), कारीगरों के औज़ार, पहनने के कपड़े, खिदमत के लिये लौंडी, गुलाम, इल्मी शुग़ल रखने वाले के लिये इस्लामी क़िताबें जो उस की ज़रूरत से ज़ाइद न हों ❁ इसी तरह अगर मद्यून (या'नी मक़्रूज़) है और दैन (या'नी क़र्ज़) निकालने के बा'द निसाब बाक़ी न रहे तो **फ़क़ीर** है अगर्वे उस के पास एक तो क्या कई निसाबें हों।

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 924, رَدُّ الْمُحْتَارِ ج 3 ص 333 وغيره)

फरमाने मुस्तफा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर दुरुदे पाक की कसरत करो बेशक यह तुम्हारे लिये त्हा रत है। (بوشلي) ۱

मिस्कीन की ता'रीफ

मिस्कीन वोह है जिस के पास कुछ न हो यहां तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये इस का मोहताज है कि लोगों से सुवाल करे और इसे सुवाल हलाल है। फ़कीर (या'नी जिस के पास कम अज़ कम एक दिन का खाने के लिये और पहनने के लिये मौजूद है उस) को बिगैर ज़रूरत व मजबूरी सुवाल हराम है।

(عالمگیری ج ۱ ص ۱۸۷-۱۸۸) , बहारे शरीअत, जि. 1, स. 924)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा जो भिकारी कमाने पर कादिर होने के बा वुजूद बिला ज़रूरत व मजबूरी बतौर पेशा भीक मांगते हैं गुनाहगार व अज़ाबे नार के हकदार हैं और जो ऐसों के हाल से बा ख़बर हो उसे उन को देना जाइज़ नहीं।

ग़मे मदीना, बकीअ,
मग़िफ़रत और बे
हिसाब जन्नतुल
फिरदौस में आका
के पड़ोस का तालिब



यकुम मुहर्रमुल हराम 1435 सि.हि.

06-11-2013

येह रिसाला पढ़ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी ग़मी की तक्रीबात, इज्तिमाअत, आ'रस और जुलूसे मीलाद वगैरा में मक-त-बतुल मदीना के शाएअ कर्दा रसाइल और म-दनी फूलों पर मुश्तमिल पेम्फ़्लेट तक्सीम कर के सवाब कमाइये, गाहकों को ब निय्यते सवाब तोहफ़े में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी रसाइल रखने का मा'मूल बनाइये, अख़बार फ़रोशों या बच्चों के ज़रीए अपने महल्ले के घर घर में माहाना कम अज़ कम एक अदद सुन्नतों भरा रिसाला या म-दनी फूलों का पेम्फ़्लेट पहुंचा कर नेकी की दा'वत की धूमें मचाइये और ख़ूब सवाब कमाइये।

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुझ पर रोज़े जुमुआ़ा दुरुद शरीफ़ पढ़ेगा मैं क़ियामत के दिन उस को शफ़ाअत करूँगा। (क़ुरआन)

फ़ेहरिस

उन्वान	सफ़ह़ा	उन्वान	सफ़ह़ा
दुरुद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	1	क़ज़ाए उ़म्री का तरीक़ा (ह-नफ़ी)	12
जहन्नम की ख़ौफ़नाक वादी	2	नमाज़े क़स्र की क़ज़ा	13
पहाड़ गरमी से पिघल जाएं	2	ज़मानए इरतिदाद की नमाज़ें	14
सर कुचलने की सज़ा	2	बच्चे की पैदाइश के वक़्त नमाज़	14
हज़ारों बरस के अज़ाब का हक़दार	3	मरीज़ को नमाज़ कब मुआफ़ है ?	14
क़ब्र में आग के शो'ले	4	उ़म्र भर की नमाज़ें दोबारा पढ़ना	14
अगर नमाज़ पढ़ना भूल जाए तो.....?	4	क़ज़ा का लफ़्ज़ कहना भूल गया तो ?	15
इत्तिफ़ाक़न आंख न खुली तो.....?	5	क़ज़ा नमाज़ें नवाफ़िल की अदाएंगी से बेहतर	15
मजबूरी में अदा का सवाब मिलेगा या नहीं ?	5	फ़ज़्र व अ़स्र के बा'द नवाफ़िल नहीं पढ़ सकते	15
रात के आख़िरी हिस्से में सोना कैसा ?	6	ज़ोहर की चार सुन्नतें रह जाएं तो क्या करे ?	16
रात देर तक जागना	6	फ़ज़्र की सुन्नतें रह जाएं तो क्या करे ?	16
अदा, क़ज़ा और वाजिबुल इअ़दा की ता'रीफ़	7	क्या मग़रिब का वक़्त थोड़ा सा होता है ?	17
तौबा के तीन रुकन हैं	8	तरावीह की क़ज़ा का क्या हुक़म है ?	18
सोते को नमाज़ के लिये जगाना वाजिब है	8	नमाज़ का फ़िदया	18
फ़ज़्र का वक़्त हो गया उठो !	8	महूमा के फ़िदये का एक मस्अला	20
हिकायत	9	सादाते क़िराम को नमाज़ का फ़िदया नहीं दे सकते	20
हुकूके अ़ाम्मा के एहसास की हिकायत	10	100 कोड़ों का हीला	21
जल्द से जल्द क़ज़ा पढ़ लीजिये	11	कान छेदने का रवाज कब से हुवा ?	22
छुप कर क़ज़ा पढ़िये	11	गाय के गोशत का तोहफ़ा	23
जुमुअ़तुल वदाअ में क़ज़ाए उ़म्री	11	ज़कात का शर-ई हीला	23
उ़म्र भर की क़ज़ा का हिसाब	12	फ़क़ीर की ता'रीफ़	24
क़ज़ा पढ़ने में तरतीब	12	मिस्कीन की ता'रीफ़	25

فرمانے مستفاداً صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : تُمَّ جِهًا مَيَّ هُوَ مُؤَدِّجٌ پَر دُرُودٍ پَدُوْا كِي تُمْهَارَا دُرُودٌ مُؤَدِّجٌ تَك پَهْ چَتَا هِيَّ (طبرانی) ا هِيَّ

مآخذ و مراجع

مطبوعہ	کتاب	مطبوعہ	کتاب
پشاور	کتاب الکبائر	مکتبہ المدینہ باب المدینہ کراچی	قرآن مجید
دار المعرفہ بیروت	تہذیب البصائر	مکتبہ المدینہ باب المدینہ کراچی	تذکرۃ العرفان
دار المعرفہ بیروت	در مختار و رد المحتار	پیر بھائی پٹنی مرکز الاولیاء لاہور	نور العرفان
کوئٹہ	مشہد الخالق علی البحر الرائق	دار الکتب العلمیہ بیروت	بخاری
دار الفکر بیروت	عالمگیری	دار ابن حزم بیروت	مسلم
باب المدینہ کراچی	غمر عیون البصائر	دار الکتب العلمیہ بیروت	شعب الایمان
رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور	فتاویٰ رضویہ	دار الکتب العلمیہ بیروت	الجامع الصغیر
مکتبہ المدینہ باب المدینہ کراچی	بہار شریعت	دار صادر بیروت	احیاء العلوم

نامہ رسالہ : کجا نمازوں کا तरीکا
 پہلی بار : جُمادیل اَوَّل 1435 ھ.، مارچ 2014 ھ.
 تا'داد : 20,000

ناشر : مک-ت-بَتول مَدینا

م-دنیٰ اِلتِجَا : کسی اور کو یہ رسالہ اِخْطَا کی اِجْازت نہی ہے۔

کیتاَب کے خریدار مۇ-تَوجَّه ہوں

کیتاَب کی تَبَاوُت مَیں نُمَايَاں خَرَابِي ہو یا سَفْهَات کَم ہوں یا بَا اِندِغ مَیں آگے پِیْخے ہو گئے ہوں تو مَک-ت-بَتول مَدینا سے رُجُو اِفرَمَا اِیْے۔

मोटे मोटे सांप

रिवायत में है : क़ियामत के दिन सब से पहले नमाज़ छोड़ने वालों के चेहरे सियाह होंगे और जहन्नम में एक वादी है जिसे लमलम कहा जाता है, उस में ऊंट की गरदन की तरह मोटे मोटे सांप हैं, हर सांप की लम्बाई एक माह की मसाफ़त के बराबर है। जब येह सांप नमाज़ न पढ़ने वाले को डसेगा तो उस का ज़हर उस के जिस्म में 70 साल तक जोश मारता रहेगा।

(अल्वाजिह १: २१५)



मक-त-सतुल मसीना

या फते इस्लामी

फ़ैजाबे मसीना, त्री कोविया बगीचे के सामने, मिरज़ापूर, अहमदआबाद-1, गुजरात, इन्डिया

Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net